श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय

जोबनेर 303329, जिला जयपुर (राजस्थान)

फोन नं. 01425-254988(का.), 01425-254039 (फैक्स)

e-mail Id : comptroller@sknau.ac.in

क्रमांकःएफ.03( )वि.नि./ग्रुप-I/परिपत्र/2016/1538-70 दिनांकः 12-07-16

परिपत्र

विश्वविद्यालय द्वारा वित्तीय वर्ष 2016-17 के बजट अनुमान प्रबंध मण्डल के अनुमोदन पश्चात् वित्तीय वर्ष के दौरान विभिन्न बजट शीर्षो एवं मदों अन्तर्गत व्यय करने हेतु सभी इकाई प्रभारियों को अधिकृत किया गया है। समस्त इकाई प्रभारियों को आवंटित बजट के समयबद्ध एवं नियमानुसार उपयोग हेतु निम्नानुसार दिशा-निर्देश प्रदान किए जाते हैः-

1. बजट शीर्ष व मदवार आवंटित बजट को आनुपातिक त्रैमासिक आधार पर नियमानुसार व्यय करना सुनिश्चित करें।
2. भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, अन्य वित्त पोषित संस्थाओं, तदर्थ परियोजनाओं आदि से बजट प्राप्ति एवं सक्षम स्वीकृति के अनुसार स्वीकृति की सीमा तक ही नियमानुसार व्यय करना सुनिश्चित करें।
3. आवंटित बजट के विरूद्ध किए जाने वाले व्यय के भुगतानों के बिलों पर बजट शीर्ष एवं उपलब्ध बजट का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।
4. आवंटित बजट के विरूद्ध किए जाने वाले उपापन (राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 व राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 की अक्षरशः अनुपालना करते हुए) बिल अधिकतम 15 दिवस में कोष कार्यालय में प्रस्तुत करें अन्यथा कि स्थिति में बिलों का भुगतान किया जाना संभव नहीं होगा।
5. कोष कार्यालय से बिल पारित हो जाने के पश्चात् सम्बन्धित निविदाकार/फर्म/सेवाप्रदाता को नियमानुसार अविलम्ब भुगतान NEFT/RTGS द्वारा करना सुनिश्चित करें ताकि विश्वविद्यालय की साख प्रभावित न हो।

इसे सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करना सुनिश्चित करें।

भवदीय

वित्त नियंत्रक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. निजी सचिव, माननीय कुलपति, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर।
2. कुलसचिव, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर।
3. समस्त निदेशक/अधिष्ठाता/ क्षेत्रीय अनुसंधान निदेशक/ भू-सम्पति अधिकारी/ प्रभारी अधिकारी/ कार्यक्रम समन्वयक/ विश्वविद्यालय पुस्तकालयध्यक्ष/ परीक्षा नियंत्रक/ कोषाधिकारी, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर।
4. निदेशक, राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान, दुर्गापुरा, जयपुर।
5. कोषाधिकारी, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर।
6. प्रभारी अधिकारी, सिमका, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, को प्रेषित कर लेख है कि विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
7. सहायक लेखाधिकारी, रोकड शाखा कार्यालय हाजा।
8. रक्षित पत्रावली।

वित्त नियंत्रक